

नीति:

चार्ल असेसमेंट गाइडलाइन्स (आरोप निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश)

नीति कोड:

CHA 1

प्रभावी होने का दिनांक:

जनवरी 15, 2021

पार-संदर्भ:

[ABD 1](#) [BAI 1](#) [CHA 1.1](#)
[CHI 1](#) [ELD 1](#) [HAT 1](#)
[IPV 1](#) [VUL 1](#)

आरोप-निर्धारण-कार्य

अभियोजन शुरू करने अथवा जारी रखने का निर्णय क्राउन काउंसल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। [क्राउन काउंसल एक्ट](#) असिस्टेंट डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल (ADAG) के निर्देश के अधीन, क्राउन काउंसल को "सभी प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेजों की जांच करने, और जांच के बाद, किसी भी अपराध अथवा अपराधों के लिए जिन्हें वह उचित समझे, अभियोजन हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए" अधिकृत करता है (धारा 4(3)(a))। इस कार्य को करने में क्राउन काउंसल से अपेक्षित है कि वह समस्त पक्षपातपूर्ण सरोकारों और गलत इरादों से स्वतंत्र होकर काम करेगा। क्राउन काउंसल की स्वतंत्रता की पुष्टि [क्राउन काउंसल एक्ट](#) की धारा 5 के तहत की गई है, जिसके अनुसार यह अपेक्षित है कि किसी अभियोजन के अनुमोदन अथवा संचालन के संबंध में अटॉर्नी जनरल का कोई भी हस्तक्षेप "ADAG को लिखित में दिया जाना, तथा *राजपत्र* में प्रकाशित किया जाना जरूरी है।"

क्राउन काउंसल की स्वतंत्रता को जवाबदेही के उपायों के साथ संतुलित करना भी जरूरी है। क्राउन काउंसल के लिए जरूरी है कि वह उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानून की समीक्षा करे तथा प्रकाशित नीतियों के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करे। इससे एक समान और सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लेना सुनिश्चित होगा।

क्राउन काउंसल का आरोप निर्धारण कार्य पुलिस की जांच संबंधी जिम्मेदारी से भी स्वतंत्र है। क्राउन काउंसल और पुलिस के बीच उचित सहयोग और प्रभावी संप्रेषण, उचित न्याय प्रदानगी की दृष्टि से आवश्यक हैं। तथापि, क्राउन काउंसल को सतर्क रहना चाहिए कि वह पुलिस के साथ बहुत नजदीकी न बढ़ाए अथवा कोई भी ऐसा अन्य कार्य न करे जिससे वस्तुनिष्ठ तरीके से आरोप निर्धारण की उसकी क्षमता बाधित हो।

पुलिस के पास यह अधिकार है कि वह कोई जानकारी प्रस्तुत करके किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगा सकती है लेकिन यह निर्णय लेने का अंतिम अधिकार क्राउन काउंसल के पास है कि अभियोजन को जारी रखा जाए या समाप्त कर दिया जाए। बीसी प्रासिक्शंस सर्विस अपेक्षा करती है कि जब तक ऐसा करना अव्यवहार्य न हो, क्राउन काउंसल द्वारा आरोपों को अनुमोदित कर देने के बाद ही, अथवा, यदि आरोप अनुमोदित नहीं हैं तो नीति में दी गई व्यवस्था के अनुसार समीक्षा को पूरा कर लेने के बाद ही (*चार्ल असेसमेंट डिजीजन - पुलिस अपील (CHA 1.1)*) पुलिस किसी जानकारी को प्रस्तुत करेगी।

क्राउन काउंसल के विवेकाधीन निर्णय उचित सम्मान के पात्र हैं और उन्हें अन्य क्राउन काउंसल द्वारा उलटा नहीं जाना चाहिए या उन पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, जिसमें रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्यूटी शामिल हैं, जब तक वे कानूनी तथ्यों की दृष्टि से गलत, अनुचित, अथवा जनहित के विरोध में न हों या जब तक परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन (घटना, दुर्घटना, स्थितियों, कोई अन्य परिवर्तन) न हुआ हो। किसी क्राउन काउंसल के विवेकाधीन निर्णय की समीक्षा पर, न्याय-संगतता का एक मानक लागू होता है।

आरोप-निर्धारण-कार्य

किसी भी आरोप निर्धारण निर्णय के लिए आवश्यक कानूनी संदर्भ के तौर पर क्राउन काउंसल के लिए जरूरी है कि वह निर्दोषता की संभावना, तर्कसंगत संदेह से परे अभियोजन की साबित करने की जिम्मेदारी, तथा एक "मिनिस्टर ऑफ जस्टिस" के रूप में कार्य करने के अभियोक्ता के मूलभूत दायित्व पर विचार करे, और न्याय होता देखे। आरोप निर्धारण कार्य को निष्पादित करते समय, क्राउन काउंसल के लिए जरूरी है कि वह दो भागों के परीक्षण के प्रति समस्त उपलब्ध प्रमाण या साक्ष्यों का स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ, तथा निष्पक्ष रूप से मापन करे:

1. क्या दोष सिद्धि की पर्याप्त संभावना है; और, यदि है तो,
2. क्या जनहित में अभियोग चलाना जरूरी है।

यह दो भागों का परीक्षण संपूर्ण अभियोजन के दौरान जारी रहता है।

साक्ष्य-आधारित-परीक्षण – दोष-सिद्धि-की-पर्याप्त-संभावना

केवल नीचे दिए गए अपवाद की शर्त के अध्याधीन, आरोप अनुमोदन हेतु साक्ष्य आधारित परीक्षण यह है कि क्या दोष सिद्धि की पर्याप्त संभावना है। "संभावना" के संदर्भ के लिए, न्यूनतम यह जरूरी है कि कानून के अनुसार दोष-सिद्धि की संभावना दोषमुक्त करार दिए जाने से अधिक हो। इस संदर्भ में "पर्याप्त" का अर्थ न केवल दोष-सिद्धि की संभावना से है बल्कि साक्ष्य की वस्तुनिष्ठ मजबूती अथवा ठोसपन से भी है। दोष-सिद्धि की पर्याप्त संभावना मौजूद होगी यदि क्राउन काउंसल संतुष्ट हो कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मजबूत और ठोस अर्थपूर्ण मामला है।

यह तय करते समय कि क्या यह परीक्षण संतुष्ट करता है, क्राउन काउंसल को निम्नलिखित कारकों पर विचार करना जरूरी है:

- सुनवाई में कौन सा ठोस साक्ष्य स्वीकार किए जाने और उपलब्ध होने की संभावना है
- स्वीकार्य साक्ष्य की वस्तुनिष्ठ विश्वसनीयता
- क्या अभियोजन की राह में व्यवहार्य बचाव, अथवा अन्य कानूनी या संवैधानिक अड़चनें हैं, जो दोष-सिद्धि की किसी भी पर्याप्त संभावना को खत्म कर देते हों

साक्ष्य का निर्धारण करते समय क्राउन काउंसल को मानकर चलना चाहिए कि एक ऐसे तटस्थ और निष्पक्ष न्यायाधीश अथवा न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई खुलेगी जो कानून के अनुसार कार्य कर रहे होंगे, और उसे साक्ष्य के अंतिम वज़न या विश्वसनीयता के प्रति न्यायाधीश अथवा न्यायपीठ के विचार को अपने व्यक्तिगत विचार से प्रतिस्थापित करते हुए न्यायाधीश अथवा न्यायपीठ की भूमिका खुद नहीं ले लेनी चाहिए।

जनहित-का-परीक्षण

यदि क्राउन काउंसल संतुष्ट हो कि साक्ष्य आधारित परीक्षण पूरा हो गया है, तो क्राउन काउंसल के लिए यह जानना जरूरी है कि जनहित में अभियोजन की आवश्यकता है या नहीं।

समाज को सुरक्षा देना फौजदारी न्याय प्रणाली का सर्वोच्च सरोकार है। न्याय के लिए यह अपेक्षित नहीं होता कि प्रत्येक सिद्ध किए जा सकने वाले अपराध के लिए अभियोजन या मुकदमा चलाया जाए। फौजदारी न्याय प्रणाली संसाधन असीमित नहीं हैं। यदि तर्कसंगत विकल्प उपलब्ध हैं, तो उनका अनुसरण किया जाना चाहिए। अभियोजन को उन

मामलों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए जिनके लिए फौजदारी न्याय प्रणाली की समस्त उपलब्ध स्वीकृतियों के साथ, उसकी पूरी शक्ति की आवश्यकता है।

जनहित का निर्धारण करते समय, क्राउन काउंसल को प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों तथा स्थानीय समुदाय के उचित जनहित सरोकारों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें कट्टर या अपरिवर्तनीय नियम नहीं थोपे जा सकते। क्राउन काउंसल को निम्नलिखित कारकों पर विचार और मनन करना चाहिए कि वे किसी विशेष मामले के लिए वे किस सीमा तक प्रासंगिक हैं।

1. जनहित संबंधी कारक जो अभियोजन के पक्ष में जाते हैं

- आरोपों की गंभीरता
- दोष-सिद्धि होने पर पर्याप्त सजा की संभावना
- किसी पीड़ित को पहुंचे नुकसान की गंभीरता
- हथियारों का प्रयोग, अथवा प्रयोग करने की धमकी
- पीड़ित की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति (*माता-पिता द्वारा बच्चों का अपहरण*, (ABD 1), *बाल पीड़ित और गवाह* (CHI 1), *बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार - बुजुर्गों के विरुद्ध अपराध* (ELD 1), *अंतरंग पार्टनर हिंसा* (IPV 1), तथा *कमजोर स्थिति वाले पीड़ित और गवाह - वयस्क* (VUL 1))
- हिंसक अपराधों के पीड़ितों के तौर पर मूल महिलाओं और लड़कियों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व
- प्रासंगिक पिछली दोष-सिद्धियों अथवा पिछले आरोपों के संबंध में आरोपी अपराधकर्ता का इतिहास जिसका परिणाम वैकल्पिक उपायों में हुआ
- पीड़ित के संबंध में आरोपी अपराधकर्ता के अधिकार या विश्वास की स्थिति
- पूर्वविचार का प्रमाण
- यह प्रमाण कि अपराध इन बातों से प्रेरित था - रंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीय या जातीय मूल, उम्र, लिंग, यौन रुझान, लिंग पहचान अथवा अभिव्यक्ति, मानसिक या शारीरिक विकलांगता, या किसी अन्य समान कारक (*हेट क्राइम्स* (HAT 1)) पर आधारित पक्षपात, पूर्वाग्रह अथवा घृणा।
- कथित अपराधकर्ता और पीड़ित की वास्तविक अथवा मानसिक उम्रों में उल्लेखनीय अंतर
- यह कि अपराध के समय कथित अपराधकर्ता न्यायालय के किसी आदेश के अधीन था
- यह मानने का उचित आधार है कि अपराध फिर से दोहराये जाने की संभावना है
- अपराध बार-बार उस जगह होता है जहां वह किया गया था
- अपराध ऐसा है जो न्याय प्रणाली या उसके सहभागियों की सत्यनिष्ठा, रक्षा या सुरक्षा को प्रभावित करता है
- अपराध एक आतंकवादी का अपराध हो
- किया गया अपराध किसी आपराधिक संगठन के लाभ हेतु, उसके निर्देश पर, अथवा उसके सहयोग से किया गया हो

2. जनहित कारक, जो अभियोजन के विरुद्ध जाते हैं

- आपराधिक न्याय-प्रणाली के भीतर अभियुक्त के तौर पर मूल व्यक्तियों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व कम करने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर जहां *सरकार बनाम ग्लैड्यू* कारकों (*R. v. Gladue*¹ factors)¹ ने मूल व्यक्ति द्वारा आपराधिक न्याय-प्रणाली से संपर्क करने में भूमिका निभाई है
- मूल अभियुक्त की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही, तरफ़दारी, नस्लवाद या प्रणालीगत भेदभाव ने अभियुक्त द्वारा आपराधिक न्याय-प्रणाली से संपर्क करने में भूमिका निभाई है
- दोष-सिद्धि से मामूली जुर्माना लगाए जाने की संभावना हो
- बीसी प्रासिक्वूशन सर्विस द्वारा अभियोजन के बिना ही जनहित पूरा हो गया हो किया जा सकता हो, जिसमें उसे न्याय की मज़बूत पद्धतियां, वैकल्पिक उपायों, मूल सामुदायिक न्याय प्रथाएं, प्रशासनिक या नागरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, अथवा किसी अन्य अभियोजन प्राधिकरण द्वारा अभियोग चलाने के माध्यम से पूरा करना शामिल है
- ज़मानत की उल्लंघना किए जाने से होने वाले नुकसान का प्रबंध, ज़मानत की समीक्षा या इसे रद्द करने संबंधी प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है (*ज़मानत – वयस्क* (BAI 1))
- किया गया अपराध वास्तविक गलती से या तथ्य की गलतफहमी से किया गया हो
- हानि या नुकसान अकेली घटना का नतीजा हो और मामूली प्रकृति का हो
- प्रासंगिक पिछली दोष-सिद्धियों अथवा हाल के पिछले आरोपों के संबंध में कथित अपराधकर्ता का इतिहास न होना जिसका परिणाम वैकल्पिक उपायों में हुआ
- अपराध तुच्छ अथवा तकनीकी प्रकृति का हो
- अपराध का कारण बनने वाला कानून पुराना और अप्रचलित हो गया हो या अस्पष्ट हो
- एक निजी व्यक्ति या समूह द्वारा अपराध की जांच की गई थी, जिसकी तहकीकात संबंधी तकनीक (i) संभावित तौर पर लोगों या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालती है; (ii) यदि इसका उपयोग पुलिस द्वारा किया जाता है, तो संभवतः एकत्रित किए गए साक्ष्य निकाल देने या न्यायिक रोक संबंधी कार्यवाही पर अदालती रोक (स्टे) के कारण होगा, या *चार्टर* की उल्लंघना या *आपराधिक संहिता* या सामान्य कानून के अंतर्गत पुलिस द्वारा शक्तियों की सीमाओं की उल्लंघना किए जाने के कारण होगा; या (iii) अन्यथा न्याय-व्यवस्था में लोगों के पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

3. जनहित संबंधी कारक जो किसी अभियोजन के पक्ष में या विपक्ष में दोनों तरफ जा सकते हैं

- किसी साक्षी या पीड़ित का युवा होना, उसकी उम्र, बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियां
- आरोपी की व्यक्तिगत परिस्थितियां
- अन्य पक्षों के संबंध में कथित अपराधकर्ता की अभियोज्यता की सीमा

1 [1999] 1 S.C.R. 688

- अभियोजन के द्वारा प्राप्त होने वाले सामाजिक लाभ की तुलना में अभियोजन की अवधि एवं खर्च
- अपराध किए जाने के बाद बीत चुका समय
- न्याय प्रदानगी में जनता का विश्वास कायम रखने की आवश्यकता

मूल व्यक्ति

कई सरकारी आयोगों और रिपोर्टों के साथ ही कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में यह बात मानी गई है कि मूल व्यक्तियों (फ़र्स्ट नेशन, मैटिस और इन्डियन) द्वारा बर्दाश्त किए गए भेदभाव, चाहे वे स्पष्ट तौर पर नस्लवादी दृष्टिकोण या सांस्कृतिक तौर पर अनुचित प्रथाओं के कारण हुए हों, जबकि आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी भागों में भी इनका विस्तार हुआ है।

कनाडा में उपनिवेशवाद, विस्थापन और आवासीय विद्यालयों के इतिहास ने निम्न शैक्षणिक उपलब्धि, कम आय, उच्च बेरोज़गारी, मादक द्रव्यों के सेवन और आत्महत्या की उच्च दर और मूल व्यक्तियों की कैद के उच्च स्तर को दर्शाया है।²

मूल व्यक्तियों की उत्पीड़न दर, विशेष तौर पर मूल महिलाओं और लड़कियों की उत्पीड़न दर भी गैर- मूल व्यक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक है।³

कनाडा में मूल व्यक्तियों के लिए उपनिवेशवाद के निरंतर परिणाम, पीड़ित या संभावित अभियुक्त के तौर पर मूल व्यक्ति से संबंधित किसी भी आरोप निर्धारण के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करते हैं। इन परिणामों को "मूल लोगों को प्रभावित करने वाले असाधारण प्रणालीगत और पृष्ठभूमि संबंधी कारकों के साथ ही उनके मौलिक तौर पर विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों और वैश्विक विचारों को ध्यान में रखकर उपाय ज़रूर करने चाहिए।"⁴

आरोप निर्धारण प्रक्रिया के प्रारंभिक पड़ाव में, क्राउन काउंसल को यह निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए कि क्या अभियुक्त या पीड़ित की पहचान एक मूल व्यक्ति के तौर पर हुई है और इसलिए क्या जनहित संबंधी विचार विशेष तौर पर मूल व्यक्तियों पर लागू होते हैं। यह निर्धारण करने के लिए क्राउन काउंसल को क्राउन काउंसल की रिपोर्ट (RCC) में शामिल किसी भी जानकारी का हवाला देना चाहिए या नहीं तो, उनके लिए आसानी से उपलब्ध हो।

फ़ाइल होने के दौरान, यदि क्राउन काउंसल किसी भी समय निर्णय लेता है कि अभियुक्त या पीड़ित की पहचान एक मूल व्यक्ति के तौर पर हुई है, तो क्राउन काउंसल को सुनिश्चित करना चाहिए कि यह जानकारी फ़ाइल में दर्ज की गई है।

जहां क्राउन काउंसल आरोप की स्वीकृति के बाद निर्णय करता है कि अभियुक्त की पहचान एक मूल व्यक्ति के तौर पर हुई है, तो उसे इस जानकारी पर विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि क्या जनहित में अभियोजन की आवश्यकता रहती है।

असाधारण साक्ष्य आधारित परीक्षण - दोष-सिद्धि की उचित संभावना

असाधारण परिस्थितियों में, जहां प्रासंगिक जनहित कारक इतने जोरदार रूप से अभियोजन के पक्ष में हों कि फ़ौजदारी न्याय प्रदानगी में जनता का विश्वास कायम रखने की दृष्टि से निम्नतर आरोप निर्धारण मानक का सहारा लेना आवश्यक हो जाए, आरोप को फिर भी अनुमोदित किया जा सकता है भले ही साक्ष्य आधारित परीक्षण पूरा न हुआ हो क्राउन काउंसल को ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतनी ज़रूरी है क्योंकि उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति या गुणवत्ता

2 R. v Ipeelee, 2012 SCC 13

3 कनाडा में मूल लोगों का उत्पीड़न, 2014, सांख्यिकी कनाडा, 2016

4 Ewert v कनाडा, 2018 SCC 30 अनुच्छेद 57 और 58 में, R v Barton, 2019 SCC 33 अनुच्छेद 198-200 में

अथवा उन असाधारण परिस्थितियों के कारण जिनसे निम्नतर आरोप निर्धारण मानक का औचित्य बताया गया हो (उदाहरण के लिए, अपराध की गंभीरता, कथित अपराधकर्ता की पहचान, या अपराध के बारे में जनाक्रोश की मात्रा), वास्तव में न्याय की विफलता का जोखिम काफी बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यूनतम साक्ष्य आधारित मानक, जो संपूर्ण अभियोजन में लागू होना जारी रहता है, यह है कि क्या दोष-सिद्धि की उचित संभावना है।

दोष-सिद्धि की उचित संभावना के लिए, प्रत्येक कथित अपराध के तत्व पर केवल "कुछ साक्ष्य" से भी बढ़कर और चीजें जरूरी हैं लेकिन इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि दोषमुक्त करार दिए जाने से अधिक दोष-सिद्धि की संभावना हो। "उचित" शब्द का अर्थ है कि व्यक्तिपरक होने के बजाय तर्क; औचित्य; वस्तुनिष्ठ बातों पर आधारित होना। "संभावना" दूरदेशी है। इसमें संभाव्य परिणाम की आशा शामिल होती है, जो पिछले अनुभवों और सामान्य बोध की जानकारी से युक्त हो। "दोष-सिद्धि की उचित संभावना" तब मौजूद होती है जब सभी प्रासंगिक तथ्यों की जानकारी से युक्त होकर क्राउन काउंसल संतुष्ट हो कि कानून के अनुसार दोष-सिद्धि हासिल करने का औचित्यपूर्ण और वास्तविक आधार है।

यह तय करते समय कि क्या यह परीक्षण संतुष्ट करता है, क्राउन काउंसल को निम्नलिखित कारकों पर विचार करना जरूरी है:

- सुनवाई में कौन सा ठोस साक्ष्य तर्क साध्य रूप से स्वीकार किए जाने योग्य और उपलब्ध है
- स्वीकार्य साक्ष्य की वस्तुनिष्ठ विश्वसनीयता
- क्या साक्ष्य किसी अकाट्य बचाव दलील से पराजित होता है

साक्ष्य का निर्धारण करते समय क्राउन काउंसल को मानकर चलना चाहिए कि एक ऐसे तटस्थ और निष्पक्ष न्यायाधीश अथवा न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई खुलेगी जो कानून के अनुसार कार्य कर रहे होंगे, और उसे साक्ष्य के अंतिम भार या विश्वसनीयता के प्रति न्यायाधीश अथवा न्यायपीठ के विचार को अपने व्यक्तिपरक विचार से प्रतिस्थापित करते हुए न्यायाधीश अथवा न्यायपीठ की भूमिका खुद नहीं ले लेनी चाहिए।

जहां क्राउन काउंसल का निष्कर्ष हो कि फौजदारी न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कायम रखने की दृष्टि से निम्नतर आरोप निर्धारण मानक का सहारा लेना आवश्यक है, वहां क्राउन काउंसल के लिए जरूरी है कि वह आरोप निर्धारण निष्कर्ष तय करने से पहले रीजनल क्राउन काउंसल अथवा डायरेक्टर से परामर्श करे। क्राउन काउंसल को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि निर्णय फाइल पर नोट किया जाए।

जिन मामलों में मौत शामिल हो या न्यायप्रदानगी का उल्लेखनीय सरोकार हो

क्राउन काउंसल को निम्नलिखित मामलों में किसी भी रिपोर्ट टु क्राउन काउंसल (RCC) को ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल को भेजना जरूरी है:

- जहां आरोप हो कि कोई व्यक्ति मौत के लिए जिम्मेवार है
- किसी भी गंभीर आरोप के लिए जिसके बारे में न्याय प्रदानगी हेतु उल्लेखनीय जन सरोकार रहा हो, अथवा होने की संभावना हो

इन मामलों में, ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल को कोई भी आरोप निर्धारण पूरा करने से पहले किसी क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी से परामर्श करना चाहिए।

कार्यवाही संबंधी मुद्दे

आरोप निर्धारण मानक का प्रयोग करने में, क्राउन काउंसल को निम्नलिखित करना चाहिए:

- जहां आरोपी हिरासत में हो, जहां RCC वारंट का अनुरोध करे, अथवा जहां हिंसा का आरोप शामिल हो वहां मामले पर शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता को समझते हुए समयबद्ध तरीके से आरोप निर्धारण के बारे में निर्णय लेना
- गंभीर मामलों में, अथवा जहां उल्लेखनीय मात्रा में जन सरोकार लागू होने की संभावना हो, जब तक ऐसा करना अव्यवहार्य न हो, पुलिस द्वारा सिफारिश किए गए आरोप को अनुमोदित न करने के इरादे के बारे में अग्रिम रूप से पुलिस के साथ चर्चा करना
- किसी भी आरोप निर्धारण निर्णय के लिए जो पुलिस की सिफारिश से भिन्न हो, निर्णय को भली-भांति समझाने हेतु पर्याप्त विस्तार में कारण दर्ज करना और यदि नीति के अनुसार किसी समीक्षा का अनुरोध किया जाए तो उसकी अनुमति देना
- जहां उपयुक्त हो, प्रभावित लोगों को निर्णय के बारे में सूचित करना, जिसमें पुलिस भी शामिल है, ताकि वे आरोप निर्धारण के कारणों को समझ सकें
- उन मामलों में जहां प्रस्तावित आरोप गंभीर हैं और उनको जन्म देने वाले आचरण से उल्लेखनीय मात्रा में जनता का ध्यान आकर्षित होने की संभावना हो, आरोप निर्धारण पर रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी के साथ चर्चा करना, ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि क्या आरोप निर्धारण को समझाते हुए जनता को एक स्पष्ट विवरण देना आवश्यक है

RCC का रूप और सामग्री

RCC के लिए जरूरी है कि वह पुलिस द्वारा सिफारिश किए गए आरोपों के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों का सटीक और पूर्ण विवरण उपलब्ध कराए, ताकि क्राउन काउंसल एक पूर्ण जानकारीयुक्त और उचित आरोप निर्धारण निर्णय ले सके। RCC और उसके अनुलग्नकों को रूप और सामग्री की दृष्टि से, बीसी प्रासिक्व्यूशन सर्विस तथा पुलिस के किसी भी समझौते के नियमों और शर्तों अथवा प्रकटीकरण सामग्रियों के हस्तांतरण को शासित करने वाली समझ का पालन करना अनिवार्य है।

किसी भी फाइल विशेष के संबंध में पुलिस और क्राउन काउंसल के बीच अग्रिम तौर पर सहमति व्यक्त की गई विशेष व्यवस्था की शर्तों के अध्याधीन, यदि RCC में लागू समझौते अथवा प्रकटीकरण सामग्रियों के हस्तांतरण को शासित करने वाली समझ का पालन नहीं किया जाता है, तो क्राउन काउंसल को चाहिए कि वह बिना आरोप निर्धारण किए पुलिस को RCC लौटा दे। ऐसा करते समय, क्राउन काउंसल को पुलिस के लिए उल्लेख करना चाहिए कि विशिष्ट रूप से कौन सी कमियां हैं।